कार्यवाही विवरण

मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट क्षमता–20 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 26/06/2018 दिन–मंगलवार, समय–11.00 बजे, स्थान–शासकीय हाई स्कूल अमोरा, तहसील– अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट क्षमता–20 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में **स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, बिलासपुर में दिनांक 24.05.2018 एवं 25.05.2018 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली में दिनांक 24.05.2018 के अंक** में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक **26/06/2018 दिन–मंगलवार, समय–11.00 बजे, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में स्थान–शासकीय हाई स्कूल अमोरा, तहसील– अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा, कार्यालय जिला पंचायत जिला–जांजगीर –चांपा, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, **कार्यालय ग्राम पंचायत अमोरा, कार्यालय ग्राम पंचायत अरसमेटा, कार्यालय ग्राम पंचायत परसदा, कार्यालय ग्राम पंचायत सोनसरी, कार्यालय ग्राम पंचायत मुरलीडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत मुलमुला, कार्यालय ग्राम पंचायत अर्जुनी, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.),** डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक,

सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 01 पत्र प्राप्त हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **दिनांक 26/06/2018 दिन–मंगलवार को निर्धारित समय पर अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में स्थान–शासकीय हाई स्कूल अमोरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री डी. के. सिंह, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् प्रस्तावित उद्योग की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रतिनिधि, **मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** के द्वारा प्रस्तावित उद्योग के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्काल जनसमुदाय द्वारा शोर–शराबा के तहत् मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये। पावर प्लांट नहीं खुलना चाहिए। कितने स्थानीय लोगों को लाफार्ज रोजगार दिया ? ये बताये प्लांट प्रबंधन। श्री सुशांत सिंह, ग्राम–नरियरा, जिला पंचायत सदस्य ने कहा ये लोक सुनवाई बंद कर दो। नहीं होगा यहां कोई जनसुनवाई। श्री सुनील कुमार सिंह, युवामोर्चा बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। कौन–कौन पक्ष में वो भी आकर यहां आकर बोलें, कौन दलाली करता यहां आकर बोले। उपस्थित जनसमुदाय द्वारा नुवोको मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये।

अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री सुशांत कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

2. **श्री सुनील कुमार सिंह :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए।
तत्पश्चात् जनसमुदाय द्वारा शोर–शराबा के तहत् मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये।

3. **श्री लखन लाल टंडन, ग्राम–सोनसरी :–** नुवोको द्वारा पावर प्लांट लगाया जा रहा है उसे मेरा समर्थन है। प्लांट खुलना चाहिए, लोगों को नौकरी दिया जाना चाहिए, प्लांट खुलेगा, हमारा क्षेत्र है। प्लांट खुलेगा और खुलना चाहिए।

4. **श्री महेन्द्र दुबे :–** पावर प्लांट खुलना चाहिए। प्लांट खुल के रहेगा। मेरा समर्थन है।

5. **श्री मनहरण लाल महिपाल, ग्राम–नरियरा :–** पावर प्लांट खुलना चाहिए, प्लांट खुलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा।

6. **श्री जगदीश प्रसाद दुबे, पूर्व सरपंच :–** नुवाको प्लांट जो खुल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जमीन नहीं लिया गया है। 37 साल पूर्व जो रेमण्ड द्वारा जमीन लिया गया था, उसी में यह प्लांट खुल रहा है। पावर प्लांट खुलना चाहिए। मेरा पूर्ण समर्थन है।

7. **श्री गणेश राम टंडन, सोनसरी :–** नुवोको का जो पावर प्लांट खुल रहा है वह खुलना चाहिए। हमारा सहयोग है। यहां रोजगार के साधन खुल रहा है। एक नहीं 50 प्लांट खुलना चाहिए। योग्यतानुसार बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज जो रोजगार का साधन यहां खुल रहा है उसको बंद क्यों करना चाह रहे हैं ? ऐसा नहीं होगा, प्लांट खुलना चाहिए।

8. **श्री शरद तिवारी, ग्राम–अमोरा:–** आज से कई वर्ष पहले सन 1984–85 के दौरान जब यहां अकाल पड़ा था उस समय यही रेमण्ड के नाम फैक्टरी वरदान साबित हुई। आज कुछ भी हो लोगों को कम से कम 1000 लोगों को

रोजगार प्राप्त हो रही है इसलिए यहां पावर प्लांट खुलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो। सन् 1977 से हमारे लोगों को कंपनी द्वारा सहयोग मिल रहा है। लाफार्ज आने के बाद यहां प्रबंधन द्वारा छ.ग. के व्यक्ति को आफिसर के पोस्ट पर रखा गया था। मैं चाहता हूं कि पावर प्लांट खुलना चाहिए। लोगों को रोजगार मिले।

9. **श्री बंशीधर सोनवानी, ग्राम–मुरलीडीह : –** नुवोको 20 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रेमण्ड सीमेंट की भूमि पर पावर प्लांट लागाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस फैक्टरी से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट खुलना चाहिए।

10. **श्री कोमल साय, ग्राम–नरियरा :–** इस पावर प्लांट के लगने से रोजगार मिलेगा। केप्टिव पॉवर खुल रहा है हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पढे लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

11. **श्री देव सिंह, नरियरा :–** क्या यह जमीन अभी लेके पावर प्लांट डाल रहे हैं ? इनको सीमेंट मिक्सिंग में कितना कोल एश चाहिए ? और क्या कोल ऐश बाहर जायेगा ? 20 मेगावाट पावर प्लांट से 6000 टन कोल ऐश जनित होगा। लेकिन मै बताना चाहता हूँ कि कोल ऐश इनको बाहर से लेना पडेगा। ये जो 20 मेगावाट का पॉवर प्लांट है उससे जनित समस्त ऐश या कोल ऐश सीमेंट प्लांट में उपयोग हो जायेगा। जब जीरो पॉल्यूशन पर चलेगा तो इस प्लांट के संबंध में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। इससे भी बडे–बडे पॉवर प्लांट स्थापित है। यह बहुत छोटा प्लांट है। रेमण्ड का जमाना था। उस समय 60 प्रतिशत स्थानीय लोग कार्यरत थे, बिना इंटरव्यू के। शासन द्वारा परमानेंट कर्मचारी, टेंम्परेरी कर्मचारी रखने का प्रावधान आ गया है। ठेकेदारी वाली बात जो पूर्व में बताया। तो मैं बता दूं कि यहां स्थानीय लोग रेगुलर कर्मचारी के रूप में कार्यरत है।

12. **श्री राकेश कुमार मोरगे :–** कितने लोग को नौकरी दिया है ? प्लांट नहीं खुलना चाहिए। यहां पर दलाल लोग बैठे हुये है। कंपनी खुलनी है तो यहां पर लिखित में नौकरी देना पडेगा। अन्यथा नहीं खुलेगा प्लांट।

13. **श्री देवनारायण बंजारे :–** हमारे यहां प्लांट खुलना चाहिए। हमारा सहयोग है। हमारे बेरोजगार भाईयों को नौकरी मिलनी चाहिए।

14. **श्री शंकर रात्रे, मुरलीडीह :–** प्रभावित लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिली है वे लोग उम्मीद में है। यहां पर बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। तभी हम समर्थन देंगे।

15. **श्री धनराज सोनवानी, ग्राम–मुरलीडीहः–** यहां पावर प्लांट खुलेगी और खुल के रहेगी। क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेगी।

16. **श्री परमेश्वर रात्रे, ग्राम–तरौदः–** अरसमेटा में जो पावर प्लांट खुल रहा है, प्रस्तावित है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन बाहर के लोगों को यहां नौकरी पर न लिया जाये। क्षेत्रीय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। तभी हमारा समर्थन है प्रार्थना है।

17. **श्री जसपाल कुमार चौबे, बनाहिलः–** इस पावर प्लांट के खुलने का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। पॉवर प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुँए कार्बन जो कि पर्यावरण के साथ–साथ जितने भी जीव जंतु, पेड़–पौधों को प्रदूषण नुकसान पहुंचाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण है जिससे 25 कि.मी. की दूरी तक कार्बन डाई आक्साईड नुकसान पहुंचाते है। पर्यावरण की दृष्टि से और चाहे नुकसान की दृष्टि से, रोजगार का साल्युशन है तो खुला हुआ प्लांट को बंद करके क्यों रखा हुआ है। उसको चालू करके रोजगार दे सकता है और एकस्ट्रा प्लांट खोलने का क्या जरूरत है ? मैं पॉवर प्लांट का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

18. **श्री मणिन्द्र मणिसिंह, ग्राम–अमोरा, मजदूर कांग्रेस जिला महामंत्री :–** यहां पर प्लांट का विरोध करता हूं। यहां काम करने के लिए आदमी बाहर से लाये जाते है और लोकल आदमियों को बिल्कुल नहीं लिया जाता है। यहां पर आये हुये है उनको प्लांट का विरोध करने क्यों नहीं दिया जा रहा है ? और अगर सब कुछ सही है तो इतनी पुलिस व्यवस्था क्यों है ? इस विरोध को समझिये और प्लांट को बिल्कुल मत खुलने दिजीये। क्या बाथरूम का पानी नाली में छोड़ा जाता है। सभी आंख बंद करके बैठे हुये है। प्लांट की ट्रक चलने के लिए रोड बनाया गया है। आम आदमी के लिए बनाया है क्या ? प्लांट के विरोध में बोलने वाले का मुंह बंद किया गया है। विरोध करता हूं। यहां पर स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता है। यहां पर विरोध करने वालों को रोका जाता है। प्लांट को खुलने से मेरा विरोध है।

19. **श्री मोहम्मद कुमार राय, ग्राम–मुरलीडीहः–** बाहरी लोगों को बुलाते हैं। प्लांट द्वारा लोकल आदमी को रोजगार नहीं दिया जाता है। बाहरी आदमी को रोजगार दिया जाता है। प्लांट खुलना चाहिए। और समस्त गांव के लोगों को लिखित में नौकरी दिया जाना चाहिए।

20. **श्री अनिल कुमार पटेल, ग्राम–परसदा :–** मै छात्र हूँ। यहा पर 30 प्रतिशत बुजुर्ग व 70 प्रतिशत नवजवान लोग है। यह प्लांट खुलना चाहिए। कुछ लोगों को मिल जाता है नौकरी। लेकिन मिडिल लोग को नौकरी नहीं मिलती है। अगर बच्चा पढ़ने लायक है तो कहां से कमायेगा ? गांव का आदमी यही चाहता है कि मैं पढूं, मैं एक छात्र हूं, यहां 70 प्रतिशत बेरोजगार क्यों आए हैं ? ताकि यहां पर नौकरी मिल सके। महिलाएं भी हमारे गांव से आई हैं। हमारे गांव में स्वास्थ्य केन्द्र खुला हुआ था, वर्तमान में बंद हो गई। यहां पर कोई प्लांट ऐसा है जो इस क्षेत्र पर ध्यान दे। अगर अपने प्लांट को विकास की ओर ले जाना है तो प्लांट में बेरोजगारों को नौकरी दें।

21. **श्री सुशांत कुमार सिंह :–** प्लांट से 20–30 से ज्यादा मिलीग्राम प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जबकि मैं दावा करना चाहता हूँ इससे अधिक प्रदूषण हो रही है। प्लांट का निरीक्षण करने अधिकारी लोग आते हैं तो प्लांट के लोग प्रदूषण की मात्रा कम कर देते हैं। एस.पी.एम. एवं एस.ओ.टू एवं एस.ओ. एक्स की मापन आंकड़े को डिस्पले होना चाहिए। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि यहां पर उद्योग प्रबंधन द्वारा सब स्टेशन स्थापित कर चुके हैं। यहां पर 2 लोगों की मृत्यु हुई। उनको 50 हजार रू. दिया गया। जिस कंपनी का लोक सुनवाई हो रहा है उसका प्रसीडेंट आज अनुपस्थित हैं। नुवोको कंपनी के अधिकारियों को यहां पर होना चाहिए। सिर्फ प्लांट के फिटिंग कार्य को छोड़कर कोई कार्य ठेका में कराये जाने का नियम नहीं है, लेकिन यहां पर सभी कार्य ठेका में कराया जा रहा है जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व से प्लांट पहले से चल रही है और खुलेआम नियम की धज्जी उड़ा रही है। तो अभी जो प्लांट लग रहा है वह क्या नियम से चलेगा ? कैसे उम्मीद करें। यहां पर जो भी होगा उसको हमें क्षेत्र के प्रतिनिधि, प्लांट के प्रतिनिधि, और आसपास के क्षेत्रीय लोगों और शासकीय अधिकारियों के उपस्थिति में वस्तु स्थिति को लिखित में बताना चाहिए और प्लांट लगाया जाये। यहां लोगों को नौकरी देंगे, प्लांट पहले से खुल चुका है तो उसमें कोई है अधिकारी छत्तीसगढ़ का ? यहां पर सब बाहर के हैं उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे अधिकारों को, मांगों को अगर दरकिनार करेंगे तो इसमें हमको आपत्ति है। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी समान अधिकार दें। खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से किसी क्षेत्र में कोई प्लांट खुलता है तो फायदा होता है, हम बिल्कुल सहमत है यदि यह नियम से चलता है तो। और यदि खुलने के बाद अगर नियम का पालन नहीं करता है तो हमारा पूर्ण रूप से इसका विरोध है। नियम से नहीं चलायेंगे तो यह प्लांट खुलना नहीं चाहिए।

22. **श्री महेन्द्र निर्मलकर, ग्राम–अमोरा** :– मैं इस पावर प्लांट का पूरा–पूरा विरोध करता हूं। यहां के प्लांट प्रबंधक ये बतायेंगे कि यहां के किस–किस गांव के किस–किस व्यक्ति को परमानेंट रोजगार दिया है ?

23. **श्री ईश्वर, मुरलीडीह** :– यहां पर जो प्लांट खुल रहा है खुलना चाहिए। कई लोगों को नौकरी मिलेगी। यहां पर सबको नौकरी मिलेगा। प्लांट खुलेगा तभी तो पैसा मिलेगा। नहीं तो पैसा कहां से मिलेगा ?

24. **श्री सुशील निर्मलकर, प्रदेश संयोजक जोगी (कांग्रेस) मजदूर विभाग** :– यह जो जनसुनवाई है दो व्यक्तियों की जनसुनवाई नहीं है। यहां हमारा छत्तीसगढ़ का जमीन, पानी, कोयला है। छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। कौन ठेकेदार द्वारा पावर प्लांट खुलवा रहे हैं ? प्लांट प्रबंधन के लोग सुन लें कि अगर इतना विरोध के बाद भी यहां प्लांट खोला जाएगा, तो यहां बिजली पानी सब बंद कर दिया जायेगा। आज यह जनसुनवाई नहीं करना था। यह बात शासन–प्रशासन तक जायेगी। 90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी तभी यह प्लांट खुलेगा। रोजगार दिये बगैर प्लांट खुलेगा, तो कोयला बंद करवा दूंगा। स्थानीय लोगों को रोजगार दिये बिना प्लांट अगर खुलेगी तो यहां के सीमेंट प्लांट को भी उखाड़ देंगे। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो यहां पर प्लांट नहीं खुलेगी। आसपास के क्षेत्र के लोगों को नौकरी देना पड़ेगी। जिसका जमीन इस प्लांट में पूर्व से है उसको पहले नौकरी मिलेगी। आंदोलन की शुरूआत है। दलाली मैनेजमेंट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर प्लांट लगाना है तो क्षेत्र के जनता को रोजगार मिलना चाहिए। यहां पर 09–10 माह से वेतन नहीं मिला है कर्मचारियों को तो इस बारे में प्लांट के मालिक को सोचना चाहिए। परमानेंट नौकरी पर रखना चाहिए। टेंपरेरी नौकरी नहीं चलेगी। अगर सीएसआर का पैसा खर्च किया होता तो हायर सेंकडरी स्कूल खुल गया होता। सीएसआर के मद का 25 साल का पैसा कहां किया है ? हिसाब देना पड़ेगा। मेरा पूर्ण विरोध है।

25. **श्रीमती सुशीला, ग्राम–परसदा**:– मेरे बेटे को नौकरी मिलना चाहिए।

26. **दुर्गा**:– मेरे बेटे को नौकरी मिलना चाहिए।

27. **श्रीमती फूलबाई यादव, ग्राम–परसदा**:– मेरे बेटे को नौकरी मिलना चाहिए।

28. **श्री मंतराम, मुरलीडीह** :– हमारे गांव के लोगों के साथ भेद–भाव करता है, प्लांट प्रबंधन के ठेकेदार। प्लांट में आसपास के गांव के लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है। बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है। पावर प्लांट

के खुलने से हमको कोई तकलीफ नहीं है। नौकरी के नाम पर घूंस लिया जाता है। स्थानीय ठेकेदार भी धांधली करते हैं। मुरलीडीह गांव के एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देते हैं।यहां के ठेकदार लोग धांधली करते हैं यहां मुरलीडीह के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

29. **श्री सुशील प्रताप सिंह, बनाहिल** :– यहां पर पूर्व से जो पावर प्लांट खुले है उसमें किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। यहां पर पर्यावरण का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। रोजगार देने की बात यहां कर रहे हैं अभी जो प्लांट चल रहा है उसमें कितने लोगों को रोजगार दिये हैं ? यहां पर प्लांट नहीं खुलना चाहिए। कोई भी कंडीशन में चाहे नौकरी दें या न दें। मैं प्लांट का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। बिना शर्त के यहां पर प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

जनसमुदाय के बीच शोर–सराबा होने लगा। जनसमुदाय के बीच आपस में वाद–विवाद होने लगा।

30. **श्री भोलाराम राठौर, ग्राम–सोनसरी** :– हमको 9 माह से पावर प्लांट से वेतन नहीं मिला है। कब मिलेगी ? सांसद से विधायक तक गये हैं। किसी ने नहीं सुना। आज क्यों सुना जा रहा है ? वेतन दिया जायेगा तो प्लांट खुलने में हमारा समर्थन है।

31. **श्री अजय कुमार दिव्य, पामगढ़ जि. पं. सदस्य** :– प्लांट खुलने का समर्थन करता हूं, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जाये। और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखें एवं स्थानीय लोगो को 90 प्रतिशत नौकरी दिया जाये।

32. **श्री शैलेन्द साहू, ग्राम–अमोरा**:– गांव को बिजली दे, स्थानीय लोगों को नौकरी दें और हर सुविधा मिलना चाहिए तो मेरा समर्थन है।

33. **श्री सत्यप्रकाश निर्मलकर, सदस्य जोगी कांग्रेस, नरियरा** :– पावर प्लांट का समर्थन करता हूं। मैं यह जानकारी जानना चाहता हूं कि इस प्लांट नें आज तक मूल भूत क्या सुविधा दिया है ? प्लांट में क्या निर्माण किया है ? सबसे ज्यादा प्लांट जांजगीर में है। हमारे यहां पर एक्सीडेंट होगा तो कौन जिम्मदार होगा। प्लांट की गाड़ी आकर लोगों को कुचलेगा। हमारे गांव में गायों की मृत्यु हुई उसका जिम्मेदार कौन है ? युवा बेरोजगार बेराजगारी से पीड़ित है। हमारे युवा बेरोजगार को नौकरी कौन दिलायेगा ? उस समय जो वादे किये, पूरे परिवार को नौकरी कौन दिलायेगा ? यहां स्थानीय आदमी को नौकरी मिले। कुछ दिन पहले हमारे ग्रामीण भाई की मृत्यु हुई तो क्या उसे

मुआवजा दिया गया ? या उसके परिजन को नौकरी दी गई क्या ? जब हम आंदोलन किये उसके बाद ही उनके परिवार को मुआवजा दिया गया। नये प्लांट में भी ऐसा ही करेंगे क्या ? प्लांट लगाना है तो लिखित में युवा बेरोजगारों को नौकरी दें, मूलभूत सुविधा दें।

34. **श्री नेपाल सिंह, अमोराः–** मैं प्लांट का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं और मेरे साथ अन्य 10 लोग यहां काम कर रहे हैं।

35. **श्री महेश टंडन, सोनसरी–** यह प्लांट खुल रहा है तो अच्छी बात है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हम लोग सब समर्थन करते हैं।

36. **श्री विशम्भर सिंह, ग्राम–अमोरा :–** पावर प्लांट के खुलने से सहमत हूं। लेकिन यहां के स्थानीय बेरोजगार लोंगो को रोजगार मिलना चाहिए। यहां प्लांट खुले लेकिन बाहर से जो लोग ला रहे है उसको बंद करें। गांव के युवा ठोकर खा रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दें।

37. **श्री प्रभुदयाल, ग्राम सोनसरी :–** पावर प्लांट खुलना चाहिए।

38. **श्री संजय कुर्रे, ग्राम हिर्री :–** पावर प्लांट खुलना चाहिए।

39. **श्री रामचंद्र चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष, अकलतराः–** पावर प्लांट खुल रहा है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूं और भी ऐसा प्लांट खुले। प्लांट खुलने से यहां के क्षेत्रीय बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगी। पावर प्लांट को मेरा समर्थन है।

40. **श्री गणेश रात्रे, अकलतरा :–** पावर प्लांट खुलना चाहिए। योग्यता के अनुसार नौकरी देना चाहिए, जो कम पढ़–लिखे हैं उनको भी नौकरी मिलना चाहिए। मेरा समर्थन है।

41. **श्री पंचराम, अरसमेटा :–** पावर प्लांट खुलना चाहिए। मेरा समर्थन है।

42. **श्री सुदर्शन सिंह, ग्राम–अमोराः–** प्लांट खुलना चाहिए। यहीं प्लांट में हम नौकरी, मजदूरी कर रहे हैं। यहां पर लगभग 200 स्थानीय आदमी कार्य कर रहे हैं। यहां पर लोकल आदमी को रोजगार नहीं मिलता है जो बोल रहा है तो उसका मैं विरोध करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर योग्यतानुसार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलती है तो मेरा समर्थन है और प्लांट का विस्तार होना चाहिए।

43. **श्री विनोद कुमार कश्यप, अकलतरा :–** प्लांट खुलेगा तो सुविधा मिलेगी। इस प्लांट के खुलने से रोजगार मिलेगी, पैसा मिलेगी तभी तो अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट खुलना चाहिए। प्लांट को मेरा समर्थन है। यहां पर बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए।

44. **श्री राघवेन्द्र कुमार व्यास, नरियराः–** जब यह जनसुनवाई आरंभ हुई तो हमे पुस्तिका को बटवाया जाना था। लोक सुनवाई संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं कराये गये, सभी को नहीं पढ़ाया गया। सीएसआर 7.5 लाख में पांचो ग्राम फिक्स है तो मैं बताना चाहूंगा कि यह पुराना रेट है। इस रेट को बढ़ाया जाये। तभी प्रभावित ग्राम का विकास होगा। सबसे गरीब और पिछड़ा गांव कुटराभंवर है। इस गांव के विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है। यह प्लांट 25 साल के युवा को नौकरी देता है तो हमारे युवा बेरोजगार को 5–7 साल का नुकसान होता है। ऐसे नियम को खत्म किये जाये। जबकि पूरे भारत में 18 वर्ष के बाद से नौकरी में भर्ती लिया जाता है। बेरोजगार लोगों को 1 से 2 वर्ष तक ट्रेनिंग दे सकते है एवं लगभग 20 वर्ष की उम्र तक उसे नौकरी दिया जाये और उनके 5 वर्ष का नुकसान न होने दें। हमारे युवा बेरोजगार लोगों को रोजगार दें। आप किसी भी पद पर एक से दो साल तक ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिसकी जमीन निकली है उसको भी नौकरी दिया जाये जिसकी जमीन नहीं निकली है प्लांट में, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि अन्य प्लांट से तो पर्यावरण बहुत बेहतर है।

45. **श्री राधेलाल खाण्डे, कुटराबोड़ :–** इस प्लांट से सभी को लाभ हो रहा है तो मैं समर्थन करता हूं साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार लोगों को यहां इस प्लांट में रोजगार मिलना चाहिए।

46. **श्रीमती आशासाहू, जनपद पंचायत सदस्य, किरारी :–** मेरे गांव में किरारी में सन् 2008 से लाफार्ज की माइंस संचालित है। मेरे गांव के लगभग 90 से 100 बेरोजगार को उसमें रोजगार मिला है। नये प्लांट में प्रभावित ग्राम अमोरा, नवापारा, मुरलीडीह, अर्जुनी, परसदा, अरसमेटा, किरारी, चोरभट्टी आदि क्षेत्र के सभी बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता दें। योग्यतानुसार नौकरी दें। प्लांट खुलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं।

47. **श्री राधेश्याम पाटले, ग्राम–मुरलीडीह :–** मैं पावर प्लांट खोलने का समर्थन करता हूं। आसपास के बेरोजगार लोगों को नौकरी दें।

48. **श्री बालमुकुंद वर्मा, परसदा :–** पावर प्लांट का समर्थन तो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। गांव के बेरोजगार को रोजगार दिया जाये। मेडिकल की व्यवस्था की जाये। एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाये, आश्रित ग्रामों में

इलाज–पानी के लिए चालू किया जाये। पावर प्लांट लगेगा तो और विकास होगा, बेरोजगार साथियों का नौकरी लगेगा। पावर प्लांट लगाने में हमारा समर्थन है। प्लांट में योग्यतानुसार रोजगार मिले।

49. **श्री अर्जुन निर्मलकर, अमोराः–** मैं 20 साल से नौकरी किया हूं लाफार्ज में। मेरा अभी तक न पेंशन दिया गया है, न ही पी.एफ. दिया गया है और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मुझे पुनः नौकरी में रखा जाये, पी.एफ. दिया जाये, नहीं तो मैं कंपनी के गेट में भूख–हड़ताल करूंगा।

50. **श्री कृष्ण कुमार वर्मा, ग्राम–परसदाः–** मैं न्युवोको प्लांट में एम्पलाई हूं। सन् 1979 में जब फैक्ट्री खुला उस समय अकाल था, उस समय लोगों को फैक्ट्री में नौकरी मिला और उन लोगों की स्थिति आज अच्छी है। प्लांट प्रबंधन द्वारा अच्छी स्कूल खोलवाया गया। उस स्कूल में यहां के आसपास के बच्चे पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनकर कहां–कहां पहुंच गये तो पावर प्लांट खुलना ही चाहिए। इस प्लांट का समर्थन करता हूं। जो क्षेत्र के बेरोजगार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दिया जाये। इस फैक्ट्री के कारण आसपास के गांव हरा–भरा हो गया है। प्लांट द्वारा वृक्षारोपण को हर गांव में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। इसका विरोध न करें, प्लांट लगने दें।

51. **श्री मनोहर वर्मा, परसदाः–** प्लांट खुलने से आसपास के युवा बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे गांव के बच्चों को कबड्डी खेल में प्लांट द्वारा अच्छा सहयोग मिलता है। तो इस प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा समर्थन है।

52. **श्री लोकेश कुमार कश्यप, परसदा :–** मैं न्यूवोको के पावर प्लांट जो खुल रहा है उसके सहयोग में हूं। हम यहां आई.टी.आई. करके इसी न्युवोको प्लांट में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कर चुके हैं और यहां काम करता हूं। लेकिन आज यहां पर पावर प्लांट डाला जा रहा है यहां पर बाहर से मजदूर मंगाया जा रहा है। यहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों को कई बहाने बनाकर बैठा दिया जाता है। 8 से 14 घंटे फ्री में कार्य किया हूं। प्रबंधन से मेरा आग्रह है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, ताकि हम लोग सुख शांति से रह सके।

53. **श्री श्याम सराफः–** पावर प्लांट खोला जाये। मेरा समर्थन है।

54. **श्री भगवानदीन कश्यप, परसदाः–** पावर प्लांट खोला जाये। हमारी नौकरी नहीं छूटना चाहिए। मेरा समर्थन है।

55. **श्री राम अवतार सिंह राठौर, सोनसरीः–** प्लांट खुलना चाहिए। सभी भाईयों को प्लांट में नौकरी मिलना चाहिए।

56. **श्री रवि सिसोदिया, अकलतरा :–** रेमण्ड, लाफार्ज, न्यूवोको किसको क्या दिया क्या नहीं, इस बात को रहने दें। सीएसआर के पैसा को क्षेत्र में खर्च नहीं किया। यहां परसदा, रोगदा के लोग क्यों नाराज है ? जो लोग साईकिल नहीं देखे है वो लोग मोटरसाइकिल में चढ़ रहे है। जो केप्टिव पावर प्लांट लगाया जा रहा है उसमें जो कोयला, पानी उपयोग किया जायेगा इसके बारे बात करना चाहिए। पानी के लिए बोर है अनुमति नहीं मिली है तो पावर प्लांट के लिए 30,000 घनमीटर पानी कहां से आयेगा, 01 मेगावाट जनरेशन के लिए 1.5 क्यू. मी. पानी चाहिए। पानी कहां से आयेगी ? पानी कहां है ? भूमिगत जल का उपयोग किया जायेगा। भूमिगत जल का उपयोग पावर प्लांट में किया जा सकता है कि नहीं, पर्यावरण के अधिकारियों द्वारा समझाया जाये हमें। पी.आई.एल. भी लगाया हूं, हाईकोर्ट में। जो बात करना है नुवोको कपंनी निरमा बनाया करता है। यहां के स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। अभी हमारी नुवोको से गुजारिश है कि यह जो फैक्टरी लगेगी, जो हमारे जैसा ही आदमी है उनको नौकरी तो नहीं मिलेगी। 05 मेगावाट के जनरेशन के लिए 3 आदमी लगते हैं। तो 20 मेगावाट के पावर प्लांट में कम से कम 10–12 आदमी को नौकरी मिलेगी। यहां की स्थिति अकलतरा जैसी नहीं बनाया जाना चाहिए। यहां जो मुआवजा मुद्दा है उसका चर्चा होना चाहिए। 30 साल से प्लांट चल रहा है। कंपनी बंद होने से जिंदगी नहीं चलती, आगे बढ़ाने के लिए उद्योग चालू रहना चाहिए। मेरा गुजारिश है कि नौकरी मत मांगिये। जो बात है उसे कहें। नुवोको प्रबंधन इस बात को ध्यान रखें कि आसपास के लोग क्यों नाराज हैं। जिंदाबाद, मुर्दाबाद से आपका विकास नहीं होगा।

57. **श्री नंदकुमार सिंह, सोनसरी, भूतपूर्व सरपंच :–** 1979 से 2002 तक इस प्लांट में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था। उस समय जिनकी जमीन अधिग्रहित किया गया है उस समय 3–3 लोगों को नौकरी में लिया गया था और जिनकी जमीन अधिग्रहित नहीं किया गया था उसको भी नौकरी में लिया गया था। उद्योग के पास पूर्व से खरीदी गई जमीन है, उसी जमीन में आज पावर प्लांट लगा रहा है। प्लांट में ही कोल यार्ड, पाईपलाईन है। उस समय हम सीमेंट प्लांट लिए राखड जो बाहर से लाते थे, अब 20 मेगावाट के पावर प्लांट से निकलने वाले राख को सीमेंट प्लांट में उपयोग किया जायेगा। इसमें विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस रेमण्ड सीमेंट प्लांट ने 465 लोगों को नौकरी दिया।

58. **श्री देवेन्द्र प्रसाद राय :–** जो पावर प्लांट खुल रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। प्लांट मैनेजमेंट से मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाये।

59. **श्री पारस दुबे, ग्राम–अमोरा :–** कोई भी पावर लगता है तो लोगों को आशा रहती है कि नौकरी मिलेगी। कितने लोगों को नौकरी मिली। प्लांट प्रबंधन, पर्यावरण और रोजगार मुद्दों पर ध्यान दे। पावर प्लांट लगने के बाद लोग छले जाते है चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में। हमे प्लांट लगने से कोई आपत्ति नहीं है। प्लांट का समर्थन करते हैं और बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जाये। अगर किसी की जमीन ली जाती है तो भू–स्वामी जो चाहे उसी रेट पर मुआवजा मिलना चाहिए। अगर प्लांट अपने लोगों को रोजगार देगा तो हम बेरोजगारों का क्या होगा ? हम चाहते हैं कि इस बेरोजगारी को दूर करे। प्लांट में बाहर के आदमी को नौकरी में न लिया जाये। प्लांट प्रबंधन से आग्रह है कि हमारे स्थानीय लोगों को परमानेंट रोजगार दिया जाये। प्लांट प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण को पूरा ध्यान दें, ताकि लोग स्वस्थ्य रहे।

60. **श्री जगमोहन राठौर, ग्राम–सोनसरी :–** पावर प्लांट खुलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्लांट के पीछे जो प्लांट लगा है उसमें मैं डी.एम. प्लांट में काम करता था, जिसकी मजदूरी आज तक नहीं मिला है। लेकिन किसी भी मजदूर भूखे घूम रहे हैं, हम मजदूर भाईयों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आस पास के लोगों को रोजगार न देकर बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है। हमें आपत्ति यह है कि आसपास के ग्रामवासियों को इतना प्रदूषण झेलना पड़ता है जिसे डी.एम. प्लांट वाले जानते हैं। 10 कि.मी. के दायरे तक बहुत ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। यह लिखित में दिया जाये कि प्लांट से 10 कि.मी. के भीतर के मजदूरी भाईयों को प्लांट में नौकरी दिया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता। पास में ही मेरा खेत है वहां जाकर देखिए, बांध का पानी पूरा सूख जाता है। हमें खेती करने बहुत तकलीफ भोगना पड़ता है। आसपास के ग्राम के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दिया जाये।

61. **श्री संतराम यादव, सोनसरी :–** जो पावर प्लांट खुल रहा है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया जाये।

62. **श्री राजकुमार सिंह :–** यहां जो जनसुनवाई हो रही है यह सिर्फ फारमेल्टी है। आये जनता को देखकर अंदाजा लगाकर देख लें कि यहां 70 से 80 प्रतिशत अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो सुन लीजिए क्या होगा ? मैं यह चाहता हूं कि 70–80 प्रतिशत लोगों को यहां नौकरी दी जाये।

63. **श्री प्रमोद कुमार जोगी, ग्राम–मुरलीडीह :–** प्लांट खुलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सभी को काम दिया जाये।

64. **श्री घांसीदास महंतः–** कंपनी के मालिक अभी तक हमें पहचानते हैं क्या ये बताईये ? पुराना प्लांट को चालू करवाए और हमारे क्षेत्र के लोग को ही नौकरी दिलाये।

65. **श्री अजय जोगी, मुरलीडीह :–** मेरा सिर्फ इतना शिकायत है कि जब स्थानीय लोग नौकरी के लिए जाते है तो ठेकेदार कहते हैं नौकरी नहीं है। इसे बंद करें।

66. **श्री मेलाराम, पंच :–** प्लांट खुलने में हमारा समर्थन है। पढ़े–लिखे लोगों को योग्यतानुसार नौकरी दें।

67. **श्री जयप्रकाश राठौर, नरियराः–** जिस क्षेत्र में उद्योग लगती है फायदा उसी क्षेत्र को मिलेगा, न कि दूसरे क्षेत्र को। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन यहां यह बात बोलना उचित नहीं है। यह जनसुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में हो रही है, प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित होना चाहिए। यहां पर लोगों को तकनीकी जानकारी नहीं है उसकी जानकारी पर्यावरण के अधिकारी को है। कंपनी के गेट पर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि उसको आमजन देख सके। यह पर्यावरण के अधिकारी तय करेंगे कि यह सही है कि नहीं। नौकरी उस क्षेत्र के प्रभावित ग्राम के जनता को ही मिलती है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के अधिकारियों से मेरा गुजारिश है कि उनके द्वारा ही इस संबंध में फैसला लेना होगा।

68. **श्री नन्दुदास मानिकपुरी, नवापारा–अमोरा :–** कंपनी का विस्तार होता है, लोगों को काम मिलता है, उनका जीवन सफल होता है, खुशहाल रहते हैं। नहीं होते तो कंपनी कैसे आते काम, इसलिए कंपनी का विस्तार होनी चाहिए।

69. **श्री नारद श्रीवास, सोनसरी :–** बेशक मेरी नौकरी नहीं लगेगी। लोगों को रोजगार मिले। लेकिन मेरे भाई बंधु अपने परिवार को हंसी खुशी चलायेंगे। प्लांट खुलना चाहिए।

70. **श्री सूरज कुमार विश्वकर्मा, अमोरा :–** मेरा पूर्ण समर्थन है इस पावर प्लांट को। रोजगार मिलना चाहिए।

71. **श्री बरतराम पटेल :–** पॉवर प्लांट बनने मे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे युवा साथियों को बराबर नौकरी मिलना चाहिए।

72. **श्री गौरीशंकर कश्यप, मुलमुला:–** मुझे रोजगार मिला हुआ है। हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाये।

73. **श्री रामलाल साहू, अमोरा :–** मैं यहां रेमण्ड, लाफार्ज सीमेंट में 27 साल तक काम किया हूं और 27 साल तक काम करने के बाद बी.आर.एस. लेकर घर में बैठा हूं। मुझे पावर प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर सब लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। 20 मेगावॉट के पावर प्लांट में कितने को रोजगार मिलेगा? मुख्य मुददा है पर्यावरण, जब पॉवर प्लांट खुलता है तो कोल आता है तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। हवा, पानी, स्कूल प्रभावित होंगे। यहां पर पेड़ पौधे न फूल में खुशबू रहता है और न ही फल लगता है। पर्यावरण विभाग से निवेदन है कि आज के नये तकनीक के पाल्युशन कंट्रोल मशीन है लगवाया जाये। जिससे प्रदूषण कंट्रोल हो सकें। हमारा जमीन अनुपजाऊ मत हो। पास में एक पावर प्लांट है जो बंद हो गया है। एक और पावर प्लांट खुल रहा है इसको भी लेकर खोलें। सी.पी.पी. से बेरोजगार बाहर आ गये हैं। इससे भी ले लेता तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता। लोगों की आवश्यकतानुसार काम दिया जाये। जिसका रोजीरोटी नहीं चल रहा है उसको रोजगार दिया जाना चाहिए। 6 – 7 माह से वेतन नहीं मिला है तो उन्हें वेतन मिलना चाहिए। इस पावर प्लांट में उनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें मेरा 100 प्रतिशत समर्थन है।

74. **श्री मो. इमरान खान, अकलतरा:–** इस जनसुनवाई में दुर्भाग्य की बात यह है कि प्लांट प्रबंधन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शुरू किया, और हमने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना चालू कर दिये है। पावर प्लांट की कार्ययोजना क्या है न किसी ने जानने न उनकी बात सुनने की जरूरत महसूस की। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। क्षेत्र के नवजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग किया। इसलिए अपनी पहल आपको करना होगा। युवाओं एवं जनताओं को निवेदन करता हूं कि मैनेजमेंट की बात को सुनें। हंगामा खड़ा करना समस्या का हल नहीं है। सी.एस.आर. की राशि पर बात करना चाहिए। क्षेत्र के विकास के संबंध में बात करना चाहिए। जमीन वाले अपनी हक की लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए पावर प्लांट खुलना चाहिए। मेरा समर्थन है।

75. **श्री चुन्नीलाल साहू, विधायकः–** जन सुनवाई करना लोगों का काम नहीं। यह जनसुनवाई कराना प्रशासन का काम है जो करा रहा है। सबसे पहले हमें नुवाको से नही, प्रशासन से बात करनी चाहिए। हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दें, क्षेत्र के पर्यावरण का नुकसान हो रही है। प्लांट खुलता है तो पर्यावरण का कितना ध्यान रखा जाता है। इसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्लांट वाला बिजली बनाकर, पैसा कमायेगा। क्षेत्र के जनता बहुत उम्मीद रखते है। ये लोग जमीन दे दिये है। पर्यावरण नुकसान से जनता प्रभावित होगी, ये दुख की बात है। इन्हे नौकरी की उम्मीद रहती है। पर्यावरण की सुनवाई के बारे में कोई नहीं बोला है। यहां जिसका जमीन जाता है उसकी नौकरी लगाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कितना सीएसआर मद में कार्य किया है इसका स्पष्ट विवरण बतायें। प. बंगाल, महाराष्ट में वहां के स्थानीय निवासियों के अलावा अन्य किसी को भी नौकरी नहीं मिलती है। यहां पर नौकरी की व्यवस्था पहले करें, तब फिर जनसुनवाई हो। यहां अधिक से अधिक लोग कहते है कि प्लांट लगना चाहिए, लेकिन उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। यहां पर उन्हें नौकरी में रखने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार करना चाहिए। अधिकांश बाहरी आदमी नौकरी करते हैं, क्षेत्र के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। क्षेत्र के जनता की मांग को पूरा करें।

76. **श्री राघवेन्द्र सिंह, अकलतरा .:–** मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग जब बनती है तो हमको नहीं बुलाया जाता है। स्थानीय आदमी को नहीं बताया जाता है। यहां पर सड़क दुर्घटना होती है तो इस पर मैं बात कहना चाहूंगा कि ट्रक द्वारा यहां कोयला परिवहन के दौरान होने वाले दुर्घटना की रोकथाम हेतु प्रशासन को यथोचित कार्यवाही करना चाहिए। यहा पर जनसुनवाई में समस्या हो रही है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया जाना चाहिए।

77. **श्री विवेक शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जांजगीर–चांपा :–** उद्योग लगाने के पूर्व क्या जनसुनवाई किया जाता है ? यहां जो इस तरह का विवाद हो रहा है तो यहां आसपास के गांव के लोगों में इस तरह का आक्रोश क्यों व्याप्त है ? वो दिन और था जब यहां पर बहुत अच्छा प्लांटेशन हुआ, हम लोग को पर्यावरण हराभरा दिखाई दे रहा था। जांजगीर–चांपा जिला 4.5 प्रतिशत वनो का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है। हम कितने निर्धन है वन के क्षेत्र में। हम जनसुनवाई में अपनी बात रखते हैं चाहे वह विकास की बात हो या रोजगार की बात। जो पक्ष में बोल रहा है वह किसी न किसी तरह से पट गया है। जो विपक्ष में बोल रहा है किसी न किसी रूप से पट गया है। कैसी बात हो रही है। सीमेंट संयंत्र के भीतर यह प्लांट लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जो प्रदूषण मापक यंत्र है उससे दिखना चाहिए लोगों को। वातावरण में कितना प्रदूषण, हवा में कितना प्रदूषण, जल में कितना प्रदूषण

यह कौन देख रहा है ? निश्चित रूप से इसको दिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तब इसकी स्वीकृति के लिए आगे बात करें। एम.ओ. यू. जब होता है तब उसमें सरकार और प्लांट के मालिक के हस्ताक्षर होता है वह एम.ओ.यू. पर्यावरणीय जनसुनवाई के बाद होना चाहिए। इस क्षेत्र को बिगाड़ने का ठेका छत्तीसगढ़ शासन ले रखा है। मैं उसका विरोध करता हूं।

78. **श्री राजेश्वर पाटले, मंडल अध्यक्ष नरियरा, अकलतरा :–** मैं इस प्लांट का समर्थन इसलिए करता हूं कि प्लांट आने से क्षेत्र का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। आज की जो सुनवाई है पर्यावरण से संबंधित है। प्लांट खुले और स्थानीय लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार मिले। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण निरंतर चलते रहना चाहिए। ताकि पर्यावरण का नुकसान न हो, वातावरण दूषित न हो। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो क्षेत्र के लोगों एवं बेरोजगार लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। अपनी मांगों को लेकर संगठित होना चाहिए, प्लांट प्रबंधन से बात कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी एकता होगी तो आपकी सुनवाई होगी। प्लांट लग रहा है उसका समर्थन करें। प्लांट नहीं लगेगा तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा ? इस प्रकार प्लांट को मेरा समर्थन है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान दे और लोगो को रोजगार दे।

79. **श्रीमती मंजू सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस :–** अकलतरा मेरा घर है और हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम सब इंसान है। आज हमारी स्थिति जानवरो से भी बदतर है। आज जानवरों से अपनी तुलना कर रही हूं उसमें हम सब शामिल हैं। आज जो वाद–विवाद हो रहा है उसका कारण क्या है ? कुछ लोगों ने अपनी अपनी समस्या को यहां पर रखा है। यह जो जन सुनवाई हो रही है वह स्पष्ट तौर पर अवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है अनुछेद 19 के खण्ड एक के तहत् अगर किसी भी कंपनी द्वारा प्लांट लगाया जाता है तो सबसे पहले उस संबंध में क्षेत्र के लोगों के साथ मीटिंग करना चाहिए और प्लांट की समस्त जानकारी देना चाहिए कि हमारा ये प्रतिवेदन व सुविधाएं है। इतने लोगों को नौकरी देंगे, पानी हम यहां से लायेंगे, पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था है। ये सब जानकारी क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए। यहां पर आकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई पक्ष में बात कर रहा है कोई विपक्ष में बात कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप अपने अधिकारो को समझे, नियम व कानून के तहत् प्राप्त करें। रोजगार मिले न मिले ये बात की बात है। पानी की व्यवस्थ कहां से हो रही है सड़को की व्यवस्था कहां से हो रही हैं ? हमारे अकलतरा क्षेत्र से। किसी प्लांट द्वारा बोर खोदना है या पानी निकलना है तो अनुमति नहीं है। यहां पर इतने लोग उपस्थित हैं मुझे एक आदमी बता दें कि यहां पर ये दलाल हैं कि नहीं इसको साबित करना पड़ेगा। जब यह स्थापित हुआ तो उस समय भी

जनसुनवाई हुई होगी। उस समय आप लोगों के समक्ष अपना प्रतिवेदन जारी किया गया है क्या ? रेमण्ड या लाफार्ज या नुवोको का यह सुनवाई रद्द होना चाहिए। यह जनसुनवाई अवैधानिक है। हमारे आने वाली पीढ़ी इस समस्या का सामना करेगा। जो है उससे हमको क्या मिला ? इसका हमें जवाब चाहिए। आपको अपना अधिकार मिला कि नहीं। पुनर्वास नीति के तहत् आपको अधिकार है वो आपको मिली की नहीं। पहले उसका उत्तर दीजिए। पहले प्लांट स्थापित हुआ उस समय क्या तय किया इसके लिए पर्यावरण की स्थिति खराब है। रात के समय प्रदूषण का स्तर बढ जाता है। हमारे क्षेत्र में जो पॉवर प्लांट लगे है उसकी बिजली दूसरे राज्यो को क्यो दिया जा रहा है ? इस लाफार्ज को क्यों नहीं दिया जा रहा है ? यह प्लांट उनसे खरीदे, पॉवर प्लांट लगाने की क्या आवश्यकता है। यह सब चीज बंदरबाट हो रहा है। मुद्दो को समझिये। मेरा अनुरोध है कि इस सुनवाई को रद्द किया जाये। अगर आपको अपनी प्लांट लगाना चाहते हैं तो क्षेत्र के लोगों को समक्ष बैठक करें, प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए, नियम कानून के तहत् जनसुनवाई कीजिए।

80. **श्री प्रशांत शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी, अकलतरा :–** पर्यावरण संरक्षण के लिए यह व्यवस्था के संबंध में जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में प्रतिवेदन में क्षेत्र के लोगों को बताना चाहिए। प्लांट लगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएसआर का मद रखना चाहिए और आउट सोरसिंग नहीं होना चाहिए, रोजगार क्षेत्रीय लोगों को मिलना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की प्रयासों एवं प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा होनी चाहिए। उद्योग द्वारा अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। पावर प्लांट लगने में समय लगता है तो प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के पूर्व ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकें।

81. **श्री बृजबिहारी सिंह, मुलमुला :–** आज हम सब जनसुनवाई में उपस्थित हुए। जनता की आवाज सुनने के लिए। प्लांट मैनेजमेंट का कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित नहीं है। प्लांट प्रबंधन के अधिकारी जनता की बात को समझे। 20 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है उसकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। तो बड़ी प्लांट की सुनवाई कहां से सुनेगी ? प्रशासन में कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह जनसुनवाई सफल नहीं होना देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से समझे। कंपनी जनसुनवाई आयोजित कर भागना चाहता है। यहां पर्यावरण, रोजगार, सड़क, परिवहन के दौरान एक्सीडेंट होने आदि का मुद्दा है उसको सुनिये। वास्तव में कंपनी प्रबंधन को जगाना चाहिए। आसपास के सभी प्रभावित गॉव के लोग पहुॅचे है, प्रबंधक जागरूक हो जनता के हितों का ध्यान रखे। मुलमुला, अर्जुनी, लाफार्ज, मुरलीडीह आदि ग्राम के रहवासी यहां पर उपस्थित हैं। हमारी मजबूरी है

अपनी बात रखने के लिए छ.ग. शासन के पास जाना पड रहा है। छ.ग. शासन आज की जनसुनवाई की दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। आज जन सुनवाई में जनता की आवाज को सुने, प्रशासन जाग जाये। आज प्लांट लगेगा तो विकास होगा। ये कैसा विकास है और क्या यह ? 20 मेगावॉट 126 करोड़ का बनेगा, 126 करोड़ कहां से आया है। यह सब पैसा वास्तव में हमारा है, बैंक से लोन लिया जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे। और इस प्लांट को लगाया जायेगा, अमोरा, परसदा, मुलमुला गांव जाग चुका है। यह जनसुनवाई अवैध है। यहां दो गांव के सरपंच कंपनी के विरोध में मेमोरेन्डम दे चुके है। कंपनी प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति क्यों रखे है कि कोई काम ही नहीं करता है। कंपनी नहीं थी तो भी जी रहे थे अब कंपनी है तो भी जी रहे है। कंपनी अच्छे व्यक्ति को लाये। स्कील डेव्हलप करें। फिर से जनसुनवाई हो। 20 मेगावाट का पावर प्लांट के लिए अच्छे से सोचिए कि आपको क्या करना है ? क्षेत्र के प्रभावित ग्राम के बारे में सोचिए उनके लिए क्या करना है ? सी.एस.आर. के तहत् कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दायित्व नहीं है। सन् 90–95 का सीएसआर दिखाया जाता है। आज तो सातवां आठवां वेतन मांग पहुंच गया है। आपके कंपनी के प्राफीट का 2 प्रतिशत सीएसआर के मद पर विकास के क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। ऐसा सी.एस.आर. नहीं जो कंपनी के काम आये। बल्कि ऐसा सीएसआर जो आपके गांव का काम आए। इस जन सुनवाई को विरोध करता हूं।

82. **<u>श्री अनिरूद्ध लाल वर्मा, पूर्व सरपंच, परसदा</u> :–** मै प्रदूषण के बारे में बोलना चाहता हूॅ कि जब रेमण्ड के अधिकारी कर्मचारी एक–एक पौधा लगाया उस समय पौधा एक भी नहीं कटा। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व नये अधिकारी कर्मचारी के आने से सारे पौधे को काट दिये गये। जिस दिन से क्षेत्र में पौधा कटा है उस दिन से हमारे क्षेत्र में भारी प्रदूषण बढ गया है, गर्मी बढ गई, हवा का बहाव से हमारा खेत भी प्रदूषित हो गया, धान का उपज कम हो गया। हमारा गांव परसदा में लाफार्ज के नाला का पानी बहाया जाता है नाला के पानी में गांव के लोग नहा रहे है। जिससे लोगों को खुजली हो रहा है हैजा हो रहा है। सीएसआर मद के तहत् करोडो रूपया जांजगीर में खर्च कर रहे है। लेकिन हमारे गांव में मात्र साढे सात हजार रूपये खर्च कर रहे है। इतना अन्याय कर रहे है। करोड़ो रूपया यहां से निकल रहा है। लेकिन हमारे गांव के लिए 01 रूपया भी नहीं निकल रहा है। पहले के अधिकारी जब तक लाफार्ज में थे। तब तक हमारे हैण्डपंप में पानी की कमी नहीं होती थी। उनके जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया है। इसके लिए हमारे पूरे ग्राम पंचायत के लोग विरोध कर रहे है। आज इतने बडे प्लांट में 01 भी लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। हम प्लांट को खोलने नहीं देंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे गांव के लोगों का इस प्लांट के खुलने का पूर्ण विरोध है। मैं पूरे गांववासियों के साथ में विरोध में हूॅ। मेरा पूर्ण विरोध है।

83. **श्री तीजराम राठिया, कौड़िया :–** मै इस प्लांट का समर्थन कर रहा हूॅ। प्लांट 30–40 साल पुराना है और उसकी नीति बहुत अच्छी है। जितने आदमी को रोजगार मिला है किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे पूरे परिवार का सही तरीके से जीवन यापन हो रहा है। इस प्लांट का स्वागत है, समर्थन है।

84. **श्री भागवत, नरियराः–** हमारी कही कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन भी सुनवाई नहीं करता है। एक–एक बोरा रूपया खाये हैं। इस प्लांट में हमारी जमीन है। विरोध करते है।

85. **श्री मनमोहन लाल :–** नौकरी मुख्य है। हमारे पास जमीन नहीं है।

86. **श्री परमेश्वर सिंहः–** जमीन का मुआवजा नहीं मिला है।

87. **श्री अंतराम बंजारे** :– समर्थन है। प्लांट खुलना चाहिए।

88. **श्री राघवेन्द्र सिंह ठाकुर, पकरिया लटियाः–** कुछ ऐसी बात बताना चाहूंगा कि इस प्लांट के लिए ऐसा जगह निर्धारित किया गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहां पर पेड़ काट दिया गया। आज तक हमारे गांव में सी.एस. आर. के चार आने खर्च नहीं हुआ। 01 साल से ज्यादा हो गया सीएसआर से जुडे हमारा गांव। कुछ वर्ष पूर्व प्लांट में नौकरी के लिए राजनांदगांव छ.ग. के आदमी को सुरक्षा गार्ड के नौकरी नहीं मिला। जब अमोरा गांव के आदमी को नौकरी मिल सकती है तो राजनांदगांव के आदमी को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती। अगर सीएसआर एक गावं के 8 लाख रूपये होता है तो 04 गावं का 32 लाख रूपया होता है ये सब कहां गया ? कंपनी के नेट प्राफिट के 02 प्रतिशत सी.एस.आर. मद में खर्च करना चाहिए। प्लांट प्रबंधन द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया। कंपनी में काम करने के लिए बाहर से आदमी कार्य करने के लिए लाये जाते है तो कॉलोनी में वहां पर फैमली क्वार्टर के बीच में बैचलर आदमी को क्यों क्वार्टर दी जाती है ? प्लांट में कार्यरत एक आदमी की मृत्यु हो गई तो गेट में धरना प्रदर्शन के बाद मुआवजा दिया गया। यहां पर बाहरी आदमी को रोजगार न देकर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

89. **श्री मेहन्द्र सिंह, मुलमुलाः–** कंपनी को सहयोग नहीं देना चाहिए। जब आप अपना जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो नया पावर प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। लोग को अपनी बात समझ नहीं आ रही है। आपको बिजली चाहिए। तो इनर्जी एक्स्चेंज की जरिये में बिजली प्राप्त करें। केप्टिव पावर प्लांट जनरेशन की रेट 5 रूपये है।

90. **श्री ननकीराम साहूः–** रेमण्ड खुलने के बाद गरीबी दूर हुआ। रेमण्ड आया तो किसी न किसी को नौकरी दिया। ये यह पावर प्लांट खुल रहा है खुलना चाहिए। मेरा समर्थन है।

91. **डॉ. जवाहर दुबे, ग्राम–अमोराः–** क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगीकरण होना भी जरूरी है। छ.ग. में औद्योगिक नीति का पालन नहीं किया जाता है। केएसके वर्धा प्लांट का बना इसमें नीतियों का पालन नहीं होता। यह तो अच्छा है इन्हें जमीन की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले रेमण्ड कम्पनी में प्रशिक्षण दिलवाया जाता था, ऐसा होना चाहिए। अन्य सुविधा और नीति के लिए कार्य होना चाहिए। मैं रेमण्ड के समय से उद्योग के समर्थन में रहा हूं। उद्योग जरूरी है उद्योग के बिना विकास संभव नहीं है। लोगों को रोजगार मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपनी जमीन पर पावर प्लांट लगा रहा है। स्थानीय बेरोजगार को प्रशिक्षण दिया जाकर रोजगार उपलब्ध कराये जाये। पूर्व रेमण्ड के द्वारा यहां के बच्चों को कोनी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। प्लांट से जो ऊर्जा निकलती है उसी के हीट से ही यह पावर प्लांट बन सकती है। शासन के उद्योग नीति के अनुसार यहां उद्योग नहीं लगाया जाता है। औद्योगिक नीति के तहत् क्षेत्र के विकास हो अमोरा में डिस्पेंसरी बंद है उसे चालू कराया जाये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

प्रस्तावित उद्योग की ओर से किरण शर्मा, उद्योग प्रतिनिधि, **मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** के द्वारा प्रस्तावित उद्योग के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। अपर कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में **301** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 92 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग **550** व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल **55** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अपर कलेक्टर
जिला–जांजगीर–चांपा